



कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- apccf-development@gov.in, Phone No. 0651-2481813



पत्रांक : 01/यो0बजट-27/2017- 787 दिनांक : 22.06.2018

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल/ चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल/ चतरा दक्षिणी प्रमण्डल/ कोडरमा वन प्रमण्डल/ हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल/ हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, गढ़वा/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, लातेहार

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत अवकृष्ट वनभूमि पर वृक्षारोपण, भू-संरक्षण एवं वृक्षारोपण तथा शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का रोपण का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) के लिए कुल **रु0 773.804 लाख (सात करोड़ तिहत्तर लाख अस्सी हजार चार सौ रुपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0बजट-32/2017-22/स्वी0 व0प0 दिनांक-09.08.2017 एवं वन विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट-32/2017-06/आ0 व0प0 दिनांक 27.04.2018।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406- वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष- 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-58-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **रु0 773.804 लाख (सात करोड़ तिहत्तर लाख अस्सी हजार चार सौ रुपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601789580103	702.979
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601789580323	70.825
कुल :-		773.804

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **अनुलग्नक-1 (क) से (ग)** पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर **अनुलग्नक-2 (क) से (ग)** पर तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक-3** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या- पी0 19S240601789580103 तथा पी0 19S240601789580323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जायेगा।
5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जायेगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।
6. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर एतद् संबंधी निर्गत परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा।
7. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जायेगा तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।
8. योजना का कार्यान्वयन स्वीकृत स्थल विशेष प्राक्कलन, प्रदत्त तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति के अनुरूप किया जायेगा।
9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।
10. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।
11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
12. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।
13. वैधानिक लेवी/ करों, विनियम दरों/ अनुसूचित दरों में परिवर्तन होने के कारण स्वीकृत राशि में परिवर्तन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या 301 दिनांक 11.03.2015 के तहत अनुमान्य होगा, अन्य किसी प्रकार के दर में परिवर्तन हेतु राज्य सरकार की पुर्वानुमति अनिवार्य होगी।
14. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक


16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

15. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

16. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

17. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।


अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-27/2017- 787 दिनांक- 22.06.2018

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर एवं पलामू, हजारीबाग/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू/ हजारीबाग/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर/ चतरा/ हजारीबाग/ एनवीस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अनुलग्नक :- यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,

झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-27/2017- 787 दिनांक- 22.06.2018

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, मेदिनीनगर/ चतरा/ कोडरमा/ हजारीबाग/ गढ़वा/ लातेहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,

झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक-1 (क)

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत अवकृष्ट वनभूमि पर वृक्षारोपण का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) का उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (रु० लाख में)

क्र. सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य (हे०)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			16891.96	1725.00	18616.96
i	ii	iii	iv	v	vi
1	मेदिनीनगर वन प्रमंडल, मेदिनीनगर	140.00	23.649	2.415	26.064
2	चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा	140.00	23.649	2.415	26.064
3	चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा	305.00	51.520	5.261	56.781
4	कोडरमा वन प्रमंडल, कोडरमा	238.680	40.318	4.117	44.435
5	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल, हजारीबाग	180.00	30.406	3.105	33.511
6	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, हजारीबाग	50.00	8.446	0.863	9.309
7	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, गढ़वा	180.00	30.405	3.105	33.510
8	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, लातेहार	200.00	33.784	3.450	37.234
योग :-		1433.68	242.177	24.731	266.908

अनुलग्नक-1 (ख)

वित्तीय वर्ष 2018-19 में तक कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत भू-संरक्षण एवं वृक्षारोपण का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) का उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (रु० लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/ प्रमंडल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे०)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			26268.47	2515.00	28783.47
i	ii	iii	iv	v	vi
1	मेदिनीनगर वन प्रमंडल, मेदिनीनगर	250.00	65.671	6.288	71.959
2	चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा	150.00	39.404	3.773	43.177
3	चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा	100.00	26.268	2.515	28.783
4	कोडरमा वन प्रमंडल, कोडरमा	50.00	13.134	1.257	14.391
5	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल, हजारीबाग	65.00	17.075	1.635	18.710
6	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, हजारीबाग	162.00	42.554	4.074	46.628
7	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, गढ़वा	100.00	26.268	2.515	28.783
8	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, लातेहार	200.00	52.537	5.030	57.567
योग :-		1077.00	282.911	27.087	309.998

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत शीघ्र बढ़नेवाले पौधों का वृक्षारोपण का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) का उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (रु० लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/ प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			38256.16	4087.50	42343.66
i	ii	iii	iv	v	vi
1	चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा	100.00	38.256	4.088	42.344
2	चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा	100.00	38.256	4.088	42.344
3	कोडरमा वन प्रमंडल, कोडरमा	45.000	17.215	1.839	19.054
4	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल, हजारीबाग	80.00	30.605	3.270	33.875
5	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, गढ़वा	100.00	38.256	4.087	42.343
6	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, लातेहार	40.00	15.303	1.635	16.938
योग :-		465.00	177.891	19.007	196.898
सकल योग :-		2975.68	702.979	70.825	773.804

विभागीय स्वीकृतिदेश संख्या 04/यो0ब0-32/2017-22/स्वी0 व0प0 दिनांक 09.08.2017

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम : अवकृष्ट वनों का पुनर्वास योजना

पौधों की संख्या प्रति हे० : 1000 पौधे

स्पेसिंग 3 मी. x 3 मी. अथवा 2 मी. x 2 मी. अथवा 3 मी. x 2 मी. (रिक्त स्थान की उपलब्धता अनुसार)

मजदूरी दर : 237.38 रु० प्रति मानव दिवस

क्रम	कार्य विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
1	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित	हे०	13	3085.94	0.00	3085.94	
2	वृक्षारोपण	हे०	22	5222.36		5222.36	
3	दो कोड़नी एवं निकौनी	हे०	25	5934.50	0.00	5934.50	
4	ट्रेंच के बर्म पर घेरान हेतु बीज रोपन	हे०	2	474.76	0.00	474.76	
5	पौधों की सुरक्षा		9.16	2174.40		2174.40	30 हे० तक 1 मानव दिवस एवं 30 हे० से अधिक के लिए 2 मानव दिवस
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/ यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	हे०	0.00	0.00	1575.00	1575.00	
7	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	हे०	0.00	0.00	150.00	150.00	
योग :-			71.16	16891.96	1725.00	18616.96	

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम- भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना वन भूमि अंतर्गत वृक्षारोपण

पौधों की संख्या प्रति हे० : 1666

पौधों की दूरी : (3 मी० x 2 मी०)

मजदूरी दर : 237.38 रु० प्रति मानव दिवस

क्रम	कार्य विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी	हे०	21.50	5103.67	0.00	5103.67	
2	वृक्षारोपण	हे०	36.50	8664.37	0.00	8664.37	
3	दो कोड़नी एवं निकौनी	हे०	41.50	9851.27	0.00	9851.27	
4	ट्रेंच के बर्म पर घेरान हेतु बीज रोपन	हे०	2.00	474.76	0.00	474.76	
5	पौधों की सुरक्षा		9.16	2174.40		2174.40	30 हे० तक 1 मानव दिवस एवं 30 हे० से अधिक के लिए 2 मानव दिवस
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि)		0.00	0.00	2365.00	2365.00	
7	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)		0.00	0.00	150.00	150.00	
योग :-			110.66	26268.47	2515.00	28783.47	

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम : 2500 पौधे का वृक्षारोपण

पौधों की संख्या प्रति हे० : 2500 पौधे
 पौधों की दूरी : 2 मी० x 2 मी०
 मजदूरी दर : 237.38 रु० प्रति मानव दिवस

क्रम	कार्य विवरण						
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
1	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित	हे०	32.5	7714.85	0.00	7714.85	
2	वृक्षारोपण	हे०	55	13055.90		13055.90	
3	दो कोड़नी एवं निकौनी	हे०	62.5	14836.25	0.00	14836.25	
4	ट्रेंच के वर्म पर घेरान हेतु बीज रोपण	हे०	2	474.76	0.00	474.76	
5	पौधों की सुरक्षा		9.16	2174.40		2174.40	30 हे० तक 1 मानव दिवस एवं 30 हे० से अधिक के लिए 2 मानव दिवस
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/ यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	हे०	0.00	0.00	3937.50	3937.50	
7	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	हे०	0.00	0.00	150.00	150.00	
योग :-			161.16	38256.16	4087.50	42343.66	

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
 झारखण्ड, राँची



आवदन आदेश

आरखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यवहृत हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 01/YB-27/2017/787

दिनांक - 22-Jun-2

क्रमांक	विषय कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - बेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	34873	PLMFOR070 NARESH CHANDRA SINGH MUNDA D.F.O.MEDININAGAR. OREST.DIV.	8,932,000.00 रुपये नवासी लाख बत्तीस हजार
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			
2	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - बेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	34878	CTRFOR002 RAVINDRA NATH MISHRA D.F.O. NORTH DIV. CHATRA	10,130,900.00 रुपये एक करोड एक लाख तीस हजार नौ सौ
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			
3	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - बेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	34880	CTRFOR003 SRI KALI KINKER D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA	11,604,400.00 रुपये एक करोड सोलह लाख चार हजार चार सौ
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			

योग:

30,667,300.00

क्रमिक योग:

रुपये तीन करोड छः लाख सड़सठ हजार तीन सौ

(SHRI SATNAM SINGH)
CCF, D. B. M. (RANCHI)

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	34881	KDMFORA01 SURAJ KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA	7,066,700.00 रुपये सत्तर लाख छह हजार सात सौ
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			
5	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	34882	HZBFWL009 SUSHIL SOREN DIST. FOREST OFFICE	7,808,600.00 रुपये अठहत्तर लाख आठ हजार छः सौ
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			
6	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	34883	HZBFWL005 RAJIV RANJAN D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV, HZB	5,100,000.00 रुपये इकावन लाख
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			

योग:

19,975,300.00

क्रमिक योग:

रुपये पॉच करोड छः लाख बयालीस हजार छः सौ

50,642,600.00


(SHRI SATNAM SINGH)
PCCF, D.D. (HARYANA) RANCHI

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - बेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	34884	GRHFWL003 SHYAM BIHARI PRASAD DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW	9,492,900.00 रुपये चौरानवे लाख बयानवे हजार नौ सौ
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			
8	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - बेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	34885	LTRFOR004 ARVIND KUMAR GUPTA D.F.O. SFD LATEHAR	10,162,400.00 रुपये एक करोड एक लाख बासठ हजार चार सौ
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			
9	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	34886	PLMFOR070 NARESH CHANDRA SINGH MUNDA D.F.O.MEDININAGAR, OREST.DIV.	870,300.00 रुपये आठ लाख सत्तर हजार तीन सौ
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			

योग:

20,525,600.00

क्रमिक योग:

रुपये सात करोड ग्यारह लाख अड़सठ हजार दो सौ

71,168,200.00



SHRI SATNAM SINGH
PCCF, D. BAHAMANSI, RANCHI

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	34887	CTRFOR002 RAVINDRA NATH MISHRA D.F.O. NORTH DIV. CHATRA	1,027,600.00 रुपये दस लाख सत्ताइस हजार छः सौ
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			
11	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	34888	CTRFOR003 SRI KALI KINKER D.F.O. SOUTH DIVN. CHITRA	1,186,400.00 रुपये ग्यारह लाख छियासी हजार चार सौ
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			
12	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	34889	KDMFORA01 SURAJ KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA	721,300.00 रुपये सात लाख इक्कीस हजार तीन सौ
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			

योग:

2,935,300.00

क्रमिक योग:

रुपये सात करोड इकतालीस लाख तीन हजार पैंच सौ

74,103,500.00


(SHRI SATNAM SINGH)
PCCF, D.BADHAN (MANS) RANCHI

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	34890	HZBFWL009 SUSHIL SOREN DIV. FOREST OFFICE EAST	801,000.00 रुपये आठ लाख एक हजार
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			
14	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	34891	HZBFWL005 RAJIV RANJAN DFO, HAZARIBAG WEST DIV, HZB	493,700.00 रुपये चार लाख तिरनावे हजार सात सौ
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			
15	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	34892	GRHFWL003 SHYAM BIHARI PRASAD DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW	970,700.00 रुपये नौ लाख सत्तर हजार सात सौ
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			

योग:

2,265,400.00


क्रमिक योग:

रुपये सात करोड तीरसठ लाख अडसठ हजार नौ सौ

76,368,900.00


(SHRI BATNAM SINGH)
PCCF, DADARHARWANS RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष चटक योजना 58 - अनुसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	34893	LTRFOR004 ARVIND KUMAR GUPTA D.F.O. SFD LATEHAR	1,011,500.00 रुपये दस लाख ग्यारह हजार पाँच सौ



योग:

1,011,500.00

क्रमिक योग:

रुपये सात करोड तीहत्तर लाख अस्सी हजार चार सौ

77,380,400.00

(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF D BADLI